

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल - 462021

क./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./ 2007-08/11/1679

भोपाल, दिनांक 11/10/08

:: आदेश ::

प्रचलित विभागीय भर्ती तथा पदोन्नति नियम-1982 एवं नियमों में राजपत्र दिनांक 21.03.2007 द्वारा किये गये संशोधन तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.07.2008 में समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय (वेतनमान 5500-175-9000) को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान 6500-200-10500) के पद पर पदोन्नत किया जाकर कालम-6 में अंकित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	वरिष्ठता क्रमांक	जिले का नाम	प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन पदस्थापना विकासखंड का नाम
1	2	3	4	5	6
1	236	रीवा	श्री बाणेश्वर प्रसाद दुबे	शा.हाई. टिकुरी	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विजयपुर जिला श्योपुर
2	237	रीवा	श्री कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी	शा.उ.मा.वि. रघुनाथगंज	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बदरवास जिला शिवपुरी
3	240	सतना	श्री भैया लाल द्विवेदी	शा. हाईस्कूल करही	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बैतूल जिला बैतूल
4	241	सतना	श्री सीताराम तिवारी	शा. हाईस्कूल करही	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सुसनेर जिला शाजापुर
5	243	इंदौर	श्री सुभाष चन्द्र वैष्णव	शा.मा.वि. टोडी सांवेर	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मल्हारगढ़ जिला मंदसौर
6	669	रीवा	श्री शम्भू प्रसाद वर्मा	शा.हाई. पिपराही	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सेवदा जिला दतिया
7	671	सतना	श्री राजाराम करपात्री	शा.मा.वि. मतवारा	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी फन्दा जिला भोपाल
8	923	शहडोल	श्री भोला सिंह गोड़	शा.मा.वि.निपानिया	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी शाहनगर पन्ना

2/- पदोन्नति में वर्तमान में प्रचलित आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है ।

3/- उक्त पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन रहेगी :-

3.1 पदोन्नत लोक सेवक को पदोन्नति उपरांत पदस्थापना वाले जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 13.10.2008 तक पदभार ग्रहण करना होगा । संलग्न प्रपत्र-1 में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थिति की जानकारी इस कार्यालय को एकीकृत रूप में प्रेषित की जायेगी । जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 16.10.2008 को निर्धारित प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें संबंधित जिला शिक्षा

अधिकारी द्वारा दिनांक 16.10.2008 को ही अपरान्ह में संलग्न प्रपत्र-2 में पदोन्नति उपर
पदस्थापना स्थान के लिए भारमुक्त किया जायेगा और उन्हें तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा ।
पदोन्नत लोक सेवक को नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्य भार ग्रहण करने हेतु किसी भी तरह के
अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

- 3.2 वर्तमान में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पूर्व से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर
कार्यरत व्याख्याता नव पदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के उपस्थित होने पर उन्हें प्रभार देकर
अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे । इस हेतु संलग्न प्रपत्र-3 में संबंधित जिला
शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तात्कालिक पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किये
जायेंगे। ऐसे सभी व्याख्याताओं का जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयमान से रिक्त
व्याख्याताओं के पद पर पदस्थापना का प्रस्ताव एकल नस्ती में एकीकृत रूप में जिला शिक्षा अधिकारी
संचालनालय में दिनांक 21.10.2008 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे । जिले में पद रिक्त नहीं होने की
स्थिति में तद्विषयक जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी उक्त दिनांक तक प्रस्तुत करेंगे।
- 3.3 यदि पदोन्नत लोक सेवक निर्धारित तिथि 13.10.2008 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उस लोक सेवक की पदोन्नति स्वतः निरस्त हो जायेगी । यदि
पदोन्नत लोक सेवक पदोन्नति से इन्कार करना चाहता है तो वह स्वयं के हस्ताक्षर के साथ इस आशय
का आयुक्त लोक शिक्षण के नाम लिखित आवेदन दो प्रतियों में संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से जिला
शिक्षा अधिकारी को दिनांक 13.10.2008 तक प्रस्तुत करेगा और ऐसी स्थिति में संलग्न प्रपत्र-4 में
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवकों को सूचित किया जायेगा और संबंधित संस्था प्रमुख एवं
संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे प्राप्त आवेदन दिनांक 16.10.2008
तक अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के समक्ष इस प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेंगे कि पदोन्नति अस्वीकार करने
संबंधी टीप की प्रविष्टि लोक सेवक की सेवापुस्तिका में कर दी गई है । ऐसे प्राप्त आवेदन की एक
प्रति भी लोक सेवक के व्यक्तिगत सेवा अभिलेख में संधारित किये जायेंगे । साथ ही ऐसे पदोन्नत लोक
सेवक जिनके द्वारा दिनांक 13.10.2008 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी जाती
और दिनांक 16.10.2008 के प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया जाता और पदोन्नति अस्वीकार करने की लिखित
सूचना भी नहीं दी जाती उनके संबंध में संलग्न प्रपत्र-5 में संबंधित लोक सेवकों को उनकी पदोन्नति
स्वतः निरस्त हो जाने की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी। यह कार्रवाई संस्था प्रधान एवं
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अत्यन्त सतर्कता एवं तत्परता के साथ की जायेगी ताकि पदोन्नति अस्वीकार
करने वाले लोक सेवक के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से लोक सेवकों को पदोन्नत किया जाकर पद पूर्ति
की जा सकें ।
- 3.4 मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम - 2002 की कण्डिका 6 (15) के अनुक्रम में पदोन्नत लोक सेवक
को ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इन्कार करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए या
अगली रिक्ति के उद्भूत होने तक, जो भी पश्चात्तवर्ती हो पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नहीं किया
जायेगा ।
- 3.5 पदोन्नत लोक सेवक द्वारा पदोन्नति का लाभ नहीं लेने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य
प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र./एफ1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 05.07.2002/23.09.2002 के प्रावधान
अनुरूप उसे 24 वर्ष की सेवा उपरांत दिये गये क्रमोन्नत वेतनमान के लाभ की पात्रता नहीं रहेगी ।
किन्तु ऐसे प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर है और पूर्व में
व्याख्याता के पद पर पदोन्नत नहीं हुये हैं, उन्हें यह विकल्प रहेगा कि वह भविष्य में व्याख्याता पद
पर पदोन्नति के लिए विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का परित्याग कर सकते हैं।
इस स्थिति में उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा ।


- 3.6 पदोन्नत लोक सेवक को 12 वर्ष की सेवा उपरान्त दिये गये वरिष्ठ वेतनमान को पदोन्नति अस्वीकार करने की स्थिति में भी वापस नहीं लिया जायेगा ।
- 3.7 पदोन्नत लोक सेवक का मूल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होना चाहिए । यदि आदिवासी विकास विभाग या अन्य विभाग का लोक सेवक पदोन्नत हो गया है तो वह कार्य मुक्त नहीं होगा तथा न ही उसे कार्य मुक्त किया जायेगा और न ही उसे पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा । ऐसी स्थिति निर्मित होने की दशा में जहाँ संबंधित लोक सेवक द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा वही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी वस्तुस्थिति की जानकारी अधोस्ताक्षरकर्त्ता को अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा तत्काल प्रेषित की जायेगी । परन्तु यदि स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के मध्य राज्य शासन के लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुपालन में परस्पर स्थानांतरित संस्थाओं में से कोई लोक सेवक मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र./एफ- 44-27/94/20-2, दिनांक 03.01.2006 के अर्न्तगत विभाग में मूल वरिष्ठता सहित संविलियित हुआ है और पदोन्नत किया गया है तो वह पदोन्नति का हकदार होगा और उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा ।
- 3.8 यदि पदोन्नत लोक सेवक के नाम, प्रवर्ग एवं वरिष्ठता इत्यादि में कोई अन्तर है तो ऐसे लोक सेवक को कार्य मुक्त न करते हुये उसके संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी इस कार्यालय को दिनांक 16.10.2008 तक उपलब्ध कराई जाये ताकि आवश्यक संशोधन/पदोन्नति आदेश की निरस्ती इत्यादि की कार्रवाई समयावधि में की जा सकें ।
- 3.9 पदोन्नत लोक सेवक को जिस प्रवर्ग में पदोन्नत किया गया है उसी प्रवर्ग का होना आवश्यक है । परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के लोक सेवक पदोन्नति हेतु अनारक्षित प्रवर्ग की श्रेणी में नियमानुसार मान्य होंगे । इसके अतिरिक्त आरक्षित प्रवर्ग के वे लोक सेवक जो गुणानुक्रम में अनारक्षित प्रवर्ग के अन्तर्गत पदोन्नत हुये हैं वे भी पदोन्नति हेतु अनारक्षित प्रवर्ग मान्य रहेंगे ।
- 3.10 यदि पदोन्नत लोक सेवक निलंबित हो अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण इत्यादि वर्तमान में प्रचलित हो अथवा उसे पदोन्नति/पदस्थापना के संबंध में न्यायालयीन स्थगन इत्यादि का लाभ प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में उसे पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना स्थान के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसके संबंध में तथ्यात्मक प्रस्ताव अभिलेख के साथ दिनांक 16.10.2008 तक अधोस्ताक्षरकर्त्ता को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 3.11 यदि जिले के किसी प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय की वरिष्ठता का हनन हुआ है और वह पदोन्नति से छूट गया है और उसी प्रवर्ग के उससे कनिष्ठ अन्य लोक सेवक पदोन्नत हो गया है तो ऐसी स्थिति में कनिष्ठ लोक सेवक को पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी और ऐसे छूटे हुये वरिष्ठता क्रम में आने वाले लोक सेवक के प्रकरण पर नियमानुसार विचार किया जायेगा । इस स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2008 तक तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करेंगे ।
- 3.12 पदोन्नति आदेश का गुणानुक्रम ही पदोन्नत पद का वरिष्ठता क्रम रहेगा एवं पदोन्नति आदेश का दिनांक ही पदोन्नत पद की वरिष्ठता तिथि रहेगी । वरिष्ठता के संबंध में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि संदर्भ तिथि नहीं रहेगी ।
- 3.13 पदोन्नत लोक सेवक के वर्तमान संस्था प्रमुख/जिला शिक्षा अधिकारी पदोन्नत लोक सेवक को दी गई समय-सीमा में कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने के लिए उत्तरदायी रहेंगे । इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- 3.14 यदि उल्लेखित शर्तों का निर्देशानुसार समय-सीमा में पालन नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित लोक सेवक, संस्था प्रमुख एवं जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं उत्तरदायी रहेंगे ।

3.15 यह आदेश जारी होने के बाद आदेश में वर्णित अधिकारियों का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहं किया जायेगा यदि कोई नव पदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी चिकित्सा अवकाश पर है, या चिकित्सा अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

3.16 आदेश में निम्नानुसार प्रवर्ग की वरिष्ठता एवं दिनांक के लोक सेवक पदोन्नत हुये है :-

- अनारक्षित प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रमांक 243 दिनांक 15.06.86
- अनुसूचित जाति के वरिष्ठता क्रमांक 671 दिनांक 09.12.94
- अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठता क्रमांक 923 दिनांक 25.01.96


संलग्न :- उक्तानुसार प्रपत्र 1 से 5


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 11/01/08

पृ. क./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./ 2007-08/11/1680

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी /माननीय राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग रीवा, ग्वालियर, होशंगाबाद, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल एवं सागर मध्यप्रदेश की ओर व्यक्तिगत स्तर से मानीटर करने एवं पालन सुनिश्चित कराने हेतु पालनार्थ ।
6. जिला कलेक्टर रीवा, श्योपुर, शिवपुरी, सतना, बैतूल, शाजापुर, इन्दौर, मंदसौर, दतिया, भोपाल, शहडोल एवं पन्ना मध्यप्रदेश ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीवा, श्योपुर, शिवपुरी, सतना, बैतूल, शाजापुर, इन्दौर, मंदसौर, दतिया, भोपाल, शहडोल एवं पन्ना, मध्यप्रदेश ।
8. कोषालय अधिकारी रीवा, श्योपुर, शिवपुरी, सतना, बैतूल, शाजापुर, इन्दौर, मंदसौर, दतिया, भोपाल शहडोल एवं पन्ना मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु अप्रेषित ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी रीवा, श्योपुर, शिवपुरी, सतना, बैतूल, शाजापुर, इन्दौर, मंदसौर, दतिया, भोपाल, शहडोल एवं पन्ना मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
10. सहायक संचालक (स्थापना-1 एवं 3) स्थानीय की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक संचालक (कम्प्यूटर) स्थानीय की ओर आज ही आदेश स्केन कर ई-मेल सभी जिलों करने एवं जारी आदेश को विभागीय वेबसाइट पर रखने हेतु पालनार्थ ।
12. विभागीय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय विजयपुर, बदरवास, बैतूल, सुसनेर, मल्हारगढ़, सीतामठ, सेवढ़ा, फन्दा एवं शाहनगर मध्यप्रदेश ।
13. संबंधित पदोन्नत लोक सेवक _____ की ओर सूचनार्थ तथा निर्धारित समयावधि में पालनार्थ ।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

.....दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/।।/.1679-80, दिनांक 01.10.2008 के अनुपालन में निम्नलिखित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर उनके सामने दर्शाये विकास खण्ड में पदस्थ किया गया है । संबंधित पदोन्नत लोक सेवक ने संचालनालय के आदेश के अनुक्रम में नीचे दर्शाये अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदभार ग्रहण कर अपनी उपस्थिति दे दी है ।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	नाम एवं पदांकित संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना वाले विकास खण्ड का नाम	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पद ग्रहण करने का दिनांक

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

पृष्ठां.क्रमांक /
प्रतिलिपि:-

.....दिनांक

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित प्राचार्यकी ओर सूचनार्थ ।
3. संबंधित.....की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

.....दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/1679-80, . दिनांक 01.10.2008 के अनुपालन में निम्नलिखित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय को उनके सामने दर्शाये गये विकास खण्ड में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर पदस्थापना की गई है । उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण उपरांत पदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिये आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद उन्हें पदांकन विकास खण्ड के लिये दिनांक को अपरान्ह में भारमुक्त किया जाता है ।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का नाम	नव पदांकित विकास खण्ड कार्यालय का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

पृष्ठां.क्रमांक /

.....दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित प्राचार्यकी ओर सूचनार्थ ।
3. संबंधित.....की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

.....दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/1679-80, .दिनांक 01.10.2008 द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय संवर्ग से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है । इस पदोन्नति आदेश के फलस्वरूप विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पूर्व पदस्थ निम्नलिखित व्याख्याताओं को पदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यमुक्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ किया जाता है। संबंधित की विषयवार पदस्थापना का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से जारी किया जाएगा ।

स. क्र.	व्याख्याता का नाम	विषय	कार्यरत संस्था का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

पृष्ठां.क्रमांक /

.....दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित प्राचार्यकी ओर सूचनार्थ ।
3. संबंधित.....की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

.....दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/1679-80, दिनांक 01.10.2008 द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय संवर्ग से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नतियां की गई है। इस आदेश के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रधानाध्यापकों को उनके सामने दर्शाये विकास खण्ड में पदोन्नत कर पदस्थ किया गया था। संबंधित प्रधानाध्यापक के द्वारा लिखित में यह सूचित किया गया है कि वे स्वैच्छिक रूप से पदोन्नति का परित्याग कर रहे हैं और वे पदोन्नति पर नहीं जाना चाहते हैं। अतः लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/1679-80, दिनांक 01.10.2008 के अनुक्रम में उपरोक्त प्रधानाध्यापक का विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का उक्त आदेश अप्रभावी हो गया है।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	प्रधानाध्यापक का नाम एवं कार्यरत संस्था	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना के विकास खण्ड का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

पृष्ठां.क्रमांक /

.....दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित प्राचार्यकी ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित की सेवा पुस्तिका में उक्त आशय की प्रविष्टि अंकित करें।
3. संबंधित.....की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

.....दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/ई/21/बीईओ.पदो./2007-08/11/1679-80, दिनांक 01.10.2008 द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय संवर्ग से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति कर पदस्थापना की गई है। इस आदेश में यह उल्लेखित है कि दिनांक 13.10.2008 तक जो पदोन्नत लोक सेवक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदोन्नति की उपस्थिति नहीं देगे, उनका पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। संचालनालय के उक्त आदेश द्वारा निम्नलिखित प्रधानाध्यापकों को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित विकास खण्ड में पदस्थ किया गया था। उन्होंने निर्धारित तिथि तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति नहीं दी है। अतः संचालनालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 01.10.2008 के अनुक्रम में संबंधित प्रधानाध्यापक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त हो गया है। संबंधित को सूचनार्थ यह आदेश जारी किया जा रहा है।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	प्रधानाध्यापक का नाम एवं कार्यरत संस्था	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना वाले विकास खण्ड का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

पृष्ठां.क्रमांक /
प्रतिलिपि:-

.....दिनांक

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित प्राचार्यकी ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित.....की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी

.....

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल -- 462021

क. / स्था.2 / ई / 21 / बीईओ.पदो. / 2007-08 / 11 / 1677
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11/01/08

संचालनालय के आदेश क्रमांक क. / स्था.2 / ई / 21 / बीईओ / 2007-08 / 11 / 1536-37, भोपाल, दिनांक 06.09.08 द्वारा पदोन्नति आदेश के स.क. 45 पर श्री एम. के विजयवर्गीय प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय (वेतनमान 5500-175-9000) (प्रतिनियुक्ति सहायक परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान राजगढ़) की पदोन्नति विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान 6500-200-10500) के पद पर पदोन्नत किया जाकर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में की गई है। चूंकि श्री विजयवर्गीय वर्तमान में सहायक परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र राजगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। जिला शिक्षा केन्द्र राजगढ़ के पत्र क्रमांक स्था / बीईओ / 08 / 1875-76, दिनांक 17.09.08 द्वारा प्रदान की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर श्री विजयवर्गीय की पदोन्नति उपरांत की गई पदस्थापना विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के स्थान पर जिला शिक्षा केन्द्र राजगढ़ यथा संशोधित करते हुये प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

पदोन्नति आदेश में अंकित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 11/01/08

पृ. क. / स्था.2 / ई / 21 / बीईओ.पदो. / 2007-08 / 11 / 1678

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी / माननीय राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग भोपाल मध्यप्रदेश की ओर व्यक्तिगत स्तर से मानीटर करने एवं पालन सुनिश्चित कराने हेतु पालनार्थ।
6. जिला कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश।
मुख्य कार्य पालन अधिकारी राजगढ़ मध्यप्रदेश।
7. कोषालय अधिकारी राजगढ़ मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़ मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. सहायक संचालक (स्थापना-1 एवं 3) स्थानीय की ओर सूचनार्थ।
10. सहायक संचालक (कम्प्यूटर) स्थानीय की ओर आज ही आदेश स्कैन कर ई-मेल सभी जिलों करने एवं जारी आदेश को विभागीय वेबसाइट पर रखने हेतु पालनार्थ।
11. विभागीय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजगढ़ मध्यप्रदेश।
12. संबंधित पदोन्नत लोक सेवक _____
की ओर सूचनार्थ तथा निर्धारित समयावधि में पालनार्थ।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश